

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(2)न्याय / 2013

जयपुर, दिनांक 26.5.16


1. श्री गजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहन राम
गाँव/पोस्ट-सोलंकिया तला,
तहसील-शेरगढ़, जिला-जोधपुर,
राजस्थान-342025
2. सुश्री अनिता गर्ग पुत्री श्री कैलाश
चन्द्र गुप्ता
116/03, शिप्रा पथ, अग्रवाल फार्म,
मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान।
3. श्री हरेन्द्र कुमार डागर पुत्र श्री
कैलाश चन्द्र डागर
दासपा की हवेली, सोजती गेट के
अन्दर,
जोधपुर, राजस्थान-342001
4. श्री भंवरा राम पुत्र श्री मोटा राम
वी/पी वीरम नगर, जालिपा,
तहसील-बाड़मेर, जिला-बाड़मेर,
राजस्थान।
5. श्री महेश कुमार पुत्र श्री मोती
लाल जी
ए बी-15 जीनगर मौहल्ला,
महावीर नगर,
बाड़मेर, राजस्थान-344001
6. श्री जितेन्द्र कुमार लखेरा पुत्र श्री
चम्पा लाल लखेरा
ए/38, सुभाष कॉलोनी, शास्त्री
नगर, जयपुर-302016
7. श्रीमती रेखा खींची पुत्री श्री राम किशोर
खींची
203, लक्ष्मी नारायणपुरी, मण्डी
खटीकान, गलता गेट के पास, जयपुर,
राजस्थान-302003
8. श्री राजकुमार मीणा पुत्र श्री मंगला राम
मीणा
प्लॉट नं. ए-16, दीपक कॉलोनी, बरकत
नगर,
टॉक फाटक, गाँधी नगर, जयपुर,
राजस्थान-302015

विषय:-कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में।

संदर्भ:-इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 30.03.2016 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित आज्ञा दिनांक 30.03.2016 द्वारा आपको नियुक्त/पदस्थापन किया गया था तथा इस विभाग द्वारा दिनांक 05.05.2016 को परिपत्र जारी कर सभी कनिष्ठ विधि अधिकारियों को अपने पदस्थापन स्थान पर अविलम्ब कार्यग्रहण कर इस विभाग को कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु आप द्वारा आज दिनांक तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने पदस्थापन स्थान पर 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण कर इस विभाग को कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाए। यदि आप द्वारा 15 दिवस की समयावधि में उपस्थिति नहीं दी जाती है तो यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं व कार्यग्रहण नहीं करना चाहते हैं, जिसके क्रम में आपकी नियुक्ति नियमानुसार समाप्त कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।


(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव